विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/480 दिनांक : 27/2/17

प्रति,

प्राचार्य,
शा. महाविद्यालय, रामपुरा,
जिला–नीमच।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/01,दिनांक 17.10.2016

उपर्युक्त विषय में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.02.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत **अस्थाई सम्बद्धता** प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.एससी.–तृतीय वर्ष (कम्प्यूटर विज्ञान) अति.विषय	40

शर्तें :–

1. चार लायासेन्स्ड सॉफ्टवेयर क्रय किये जायें।
2. चार नवीन कम्प्यूटर्स क्रय किये जायें।
3. पाठ्यक्रमानुसार एवं स्टेन्डर्ड पुस्तकें (कम से कम 100) क्रय की जावे।
4. कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु आवश्यकतानुसार फर्नीचर क्रय किये जायें।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति शीघ्र कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/424 दिनांक : 27/2/17

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4422 दिनांक :-29.11.16

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/**नवीन विषय**/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A **महाविद्यालय का नाम :- शा.महाविद्यालय,रामपुरा,जिला-नीमच।**

B **आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :-** (1) बी.एससी.-तृतीय वर्ष (कम्प्यूटर विज्ञान)

C **समिति के सदस्यों के नाम :-**

01. प्रो. तपन चौरे - विभागाध्यक्ष,अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ. रामजी यादव - विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ.उमेश कुमार सिंह- निदेशक, SOET विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफ्री की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4423 दिनांक :-29.11.16

प्रतिलिपि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी.दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।

निरंतर...02